राजकोट, जामनगर और भावनगर में उपरि पुलों का निर्माण

5557 **श्री जिमनभाई हरिभाई मुश्ल** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजकोट, जामनगर और भावनगर में उपरि पुलों के निर्माण के संबंध में मौजूदा स्थिति क्या है ;

(ख) क्या सरकार ने इनको पूरा करने के लिए कोई समयबद्ध योजना तैयार की है ;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या राजकोट में महिला कालेज चौक और राजकोट के बीच से गुजरने वाली रेल लाइन पर कैसर हस्पताल के समीप निचले पुल अथवा उपरि पुल के निर्माण में अब तक कोई प्रगति हुई है ;

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं, और इसमें क्या रुकावटें आ रही हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी०के० जाफ़र शरीफ़) : (क) से (च) जामनगर के निकट लखाववाल रोड पर निक्षेप शर्तों पर समपार सं० 2 के बदले ऊपरी सड़क पुल का निर्माण कार्य एक अनुमोदित कार्य है । राज्य सरकार द्वारा संशोधित अनुमान स्वीकार कर लिए जाने तथा इसकी लागत रेलवे के पास जमा करा दिए जाने के बाद ही रेलवे द्वारा इस कार्य को शुरू किया जाएगा

गुजरात सरकार ने राजकोट में महिला कालज के निकट एक ऊपरि सड़क पुल के निर्माण का प्रस्ताव किया है । राज्य सरकार द्वारा पूर्वा अपेक्षित औपचारिकताएं पूरी कर लेने के बाद इस कार्य को रेलों के निर्माण कार्यक्रम में शामिल करने के बारे में विचार किया जाएगा ।

राज्य सरकार से भावनगर के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है । कि. मी. 168/3-4 पर समपार सं. 220 को बदलने के लिए 1991 में दिया गया सुझाव भावनगर नगर निगम के प्राधिकारियों के साथ मिलकर किए गए संयुक्त निरीक्षण के बाद व्यावहारिक नहीं पाया गया था ।

नये रेलवे जोनों की स्थापना किया जाना

5558. **श्री शंकर दयाल सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे विभाग ने हाल ही में कतिपय नये रेलवे जोनों की स्थापना करने के लिए कोई निर्णय लिया है ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर इन नये जोनों की स्थापना किए जाने का विचार है और इस कार्य के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

रेल मंत्री (श्री सी०के० जाफ़र शरीफ़) : (क) और (ख) जोनों और मंडलों के पुनर्गठन से संबंधित मुद्दों का अध्ययन हाल ही में इस मंत्रालय द्वारा पूरा किया गया है । प्रस्ताव तैयार करने और अन्य सम्बद्ध मामलों के बारे में आगे कार्रवाई की जा रही है ।

गुजराती समाज दिल्ली में रेल यात्री सेवा एजेंट का अनाधिकृत रूप से कार्यकरण

5559. **श्री दिलीप सिंह जूदेव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल आरक्षण एजेंट पुरानी दिल्ली स्थित गुजराती समाज में अवैध रूप से कार्य कर रहे हैं और अतिथियों/यात्रियों को जाली और बेनामी रेल टिकट बेच रहे हैं ; जिसके फल-

स्वरूप उन यात्रियों को जिन पर टिकट संवाहकों द्वारा, जुर्माना किया जा रहा है, अत्यंत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) क्या मंत्रालय के सतर्कता विभाग ने कोई सर्वेक्षण किया है ;

(ग) क्या उक्त अनधिकृत रेलवे एजेंटों ने रेल मंत्रालय से कोई प्राधिकरण प्रमाण पत्र प्राप्त किया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा उक्त अनधिकृत एजेंट के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही हैं अथवा किए जाने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री सी०के० जाफ़र शरीफ़) : (क) और (ख) गुजरात समाज सदन/ दिल्ली के परिसर में, अक्टूबर 90 में सतर्कता विभाग द्वारा आयोजित निवारक जांच के दौरान, सदन के परिसर में एक व्यक्ति अनधिकृत रूप से बकिंग एजेंसी चलाते हुए पाया गया । छापे के दौरान, उसके पास से अलग-अलग व्यक्तियों के नाम के 22 टिकट बरामद हुए ।

(ग) और (घ) रेल यात्री सेवा एजेंटों का प्राधिकरण, विधिवत् प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है, रेल मंत्रालय द्वारा गुजरात समाज सदन को प्राधिकृत नहीं किया गया था/है । निवारक जांच के दौरान छापामार दल ने प्रबंधक/गुजरात समाज सदन से यह वचन लिया था कि उस व्यक्ति को सदन परिसर मे परिचालन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

भूमि अतिक्रमण में रेलवे अधिकारियों की अन्तर्ग्रस्तता

5560. **श्री आस मोहम्मद** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे विभाग से संबंधित भूमि पर किया गया अतिक्रमण रेलवे अधिकारियों की लापरवाही के कारण हुआ है ;

(ख) सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने लापरवाह और दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्री (श्री सी० के० जाफ़र शरीफ़) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

रेल यात्रियों के लिए मूल सुविधाओं में वृद्धि किया जाना

5561. **श्री आस मोहम्मद :**
चौधरी हरमोहन सिंह :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि रेल यात्रियों के लिए उनकी यात्रा को कुछ और अधिक आरामदेह बनाने हेतु उन्हें उपलब्ध करायी जा रही मूल सुविधाओं की मदों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गयी है ।

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) रेल यात्रियों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की मदों में कौन-कौन सी सुविधायें शामिल हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी०के० जाफ़र शरीफ़): (क) और (ख) रेल संबंधी स्थायी समिति की सिफारिशों के अनुवर्तन में "मूलभूत" और "अतिरिक्त" सुविधाओं की अवधारणा छोड़ दी गई है । पहचान किए गए मार्गों पर सुविधाओं की व्यवस्था करने पर अधिक बल देते हुए योजनाबद्ध आधार पर अ : सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी